5
मूल जीवन बीमा उत्पाद

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य पद	
अ. सुरक्षा की आवश्यकता	5.1
ब. जीवन बीमा उत्पाद	5.2
स. कराधान एवं मुद्रास्फीति	5.3
द. सुरक्षा जरुरतों को प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना	5.4 , 5.5
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न–उत्तर	
स्व–परीक्षण प्रश्न	

अध्ययन उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात आप निम्न हेतु समर्थ होंगे :–

- किसी व्यक्ति की विभिन्न सुरक्षा जरुरतों को समझने या वर्णन करने में;
- सुरक्षा जरुरतों को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों की व्याख्या करने में;
- एक जीवन बीमा योजना के मूल तत्वों का वर्णन करने में ;
- बीमा उद्योग द्वारा प्रस्तावित किये गये मूल जीवन बीमा उत्पादों की व्याख्या करने में;
- जीवन बीमा की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की व्याख्या करने में;
- जीवन बीमा उत्पादों के कराधान प्रावधानों का वर्णन करने में;
- जीवन बीमा उत्पादों पर मुद्रास्फीति किस प्रकार प्रभाव डालती है, का वर्णन करने में ;
- ग्राहक की जरुरतों की प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने तथा उन जरुरतों को पूरा करने के लिए उचित मूल जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करने में ।

परिचय

जैसा कि हमनें अध्याय 1 में देखा है कि सुरक्षा की जरुरत तब होती है जब कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है जो व्यक्ति तथा/या उसके आश्रितों के लिए वित्तीय आपदा उत्पन्न कर सकती है। हमनें यह भी देखा है कि अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सुरक्षा बीमा द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जिसका उद्देश्य बीमित घटना के घटित होने से हुई आर्थिक हानि की अधिकतम आर्थिक प्रतिपूर्ति किया जाना है।

यदि कोई व्यक्ति जानता भी है कि कुछ प्रकार की बीमा सुरक्षा से वह लाभ प्राप्त करेगा , परन्तु उसे हमेशा इसकी सही समझ नहीं होती है कि उसकी वास्तविक व्यक्तिगत सुरक्षा जरूरतें क्या है। ऐसे लोगो को सही विकल्प चुनने में मदद करना अभिकर्त्ता का कार्य है।

इस अध्याय में हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न जीवन बीमा योजनाओं की विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में पढेंगे तथा विशेषकर उस उत्पाद के वे लक्षण /गुण जो उसे एक ग्राहक के लिए उपयुक्त बनाते है।

अध्याय 6 तथा 7 में हम अपना ध्यान व्यक्ति की बचत जरुरतों तथा बचत उत्पादों की श्रृंखला की तरफ केन्द्रित करेंगें जो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है तथा अन्य वित्तीय उत्पादों की तरफ भी ध्यान देगें जिन्हें अभिकर्त्ता को समझने की जरुरत है।

यह समझ ग्राहक की व्यक्तिगत जरूरतों तथा परिस्थितियों के अनुसार सही एवं स्तरीय बीमा कवर की सलाह देने में आपको सक्षम बनायेगी।

मुख्य पद			
इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :			
सुरक्षा जरुरत	सुरक्षा जरुरत को प्रभावित करने वाले कारक	मृत्यु कवर	उत्तरजीविता अनुलाभ
अवधि बीमा योजना	शुद्ध बन्दोबस्ती योजना	बन्दोबस्ती बीमा योजना	आजीवन बीमा योजना
परिवर्तनीय बीमा योजना	एकल जीवन बीमा योजना	संयुक्त जीवन बीमा योजना	समूह बीमा योजना
लघु बीमा योजना	यूलिप (ULIPs)	लाभ सहित पॉलिसी	कराधान
मुद्रास्फीति	जरुरतों को प्राथमिकता क्रम में रखना	बाल योजना	मनी–बैक योजना

अ. सुरक्षा जरुरतें

एक जीवन बीमा अभिकर्त्ता के रूप में आपको किसी व्यक्ति की मृत्यु या अपंगता से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा जरुरतों के बारे में सरोकार रखने की आवश्यकता है। आगे बढने से पूर्व कुछ पल निम्नलिखित प्रकरण–अध्ययन पर विचार करें।

प्रकरण अध्ययन – प्रशान्त के जीवन में खराब मोड़ आता है

चरण I

प्रशान्त एक 35 वर्षीय व्यक्ति है जो अपनी नौकरी में अच्छी तरह व्यवस्थित है। उसकी पत्नी एक गृहिणी है तथा उसका एक 7 वर्षीय पुत्र निशान्त है। प्रशान्त चाहता है कि निशान्त बड़ा होकर एक डॉक्टर बने तथा वह निशान्त के मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए म्यूच्अल फण्ड में गत दो वर्षो से 5000 रू. प्रति माह निवेश कर रहा है। उसके माता पिता सेवानिवृत तथा उस पर आश्रित है।

प्रशान्त 10 वर्षो के लिए रू. 2,00,000 कवर की एक बन्दोबस्ती पॉलिसी लेता है जिसके लिए वह प्रति वर्ष रू. 20,000 प्रीमियम का भुगतान करता है। प्रशान्त के लिए रू. 2,00,000 कवर महत्वपूर्ण नहीं है, उसे पॉलिसी के आयकर लाभों ने आकर्षित किया था।

प्रशान्त गत वर्ष नये घर में चला गया । पहले वह एक किराये के मकान में रहता था। प्रशान्त के पास अब रू. 7 लाख के कार ऋण के अतिरिक्त रू. 40 लाख का गृह ऋण चल रहा है। वह वार्षिक छुट्टियों का आनन्द अपने परिवार के साथ उठाता है जिसके लिए वह अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है। प्रशान्त भारत के उभरते भावी मध्यम वर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। सब कुछ उसके पास है और वह महसूस करता है कि उसे अपने जीवन से और अधिक कुछ नहीं चाहिए।

चरण II

उसकी प्रसन्नता के स्थान पर, भाग्य ने प्रशान्त के लिए कुछ और ही रच रखा था ; जीवन एक ऐसा भयानक मोड़ लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। निशान्त बहुत खुश है उसके 8 वें जन्म दिन पर एक नई साइकिल के उपहार का वादा किया गया है तथा वह अपने पिता का मुम्बई से एक आधिकारिक सम्मेलन से लौटने का इन्तजार नहीं कर पा रहा था इतना छोटा लड़का कैसे कल्पना कर सकता है कि उसके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। घर लौटते समय प्रशान्त का विमान क्रेश हो जाता है तथा क्रेश में उसकी मृत्यु हो जाती है। न तो निशान्त के पिता और न ही उसकी साइकिल आयी केवल प्रशान्त के दुखद निधन का समाचार आया जो उसके परिवार को गंभीर आघात पहुँचाता है।

चरण III

प्रशान्त के परिवार के लिए यह एक मात्र दुखद समाचार नहीं था। उसके साथ बहुत से समाचार आते है। प्रशान्त के परिवार के आँसू तक भी नहीं सूखते है कि लेनदार उसके मकान के बाहर लाईन बनाना शुरू कर देते है। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड वसूली अभिकर्त्ता, फिर ऋण वसूली अभिकर्त्ता जो कार पर पुनः कब्जा कर लेता है क्योंकि प्रशान्त का परिवार कार ऋण की ई एम आई का भुगतान नहीं कर सकता है। अन्तिम आघात बैंक से आता है जो प्रशान्त के परिवार से मकान खाली करने के लिए कहता है क्योंकि वे गृह ऋण की ई एम आई का भुगतान करने में असमर्थ है।

निशान्त की शिक्षा का सपना भी ध्वस्त हो जाता है क्योंकि परिवार किसी भी तरह और उसकी शिक्षा पर और आगे निवेश नहीं कर सकता है। परिवार का अस्तित्व ही इस पर टिका था कि प्रशान्त परिवार में एक मात्र आय अर्जक था।

रू. 2,00,000 की बन्दोबस्ती पॉलिसी एक वर्ष तक भी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। यह एक मात्र बीमा कवर था जिसे प्रशान्त ने खरीदा था तथा वास्तव में यह केवल आयकर

लाभ के लिए ही था।

कुछ क्षणों के लिए, इस प्रकरण को अपने ध्यान में रखे जब तक हम इस अध्याय के शेष भाग का अध्ययन करें। हम यह देखने के लिए भाग द में बाद में लौटकर आयेंगे कि प्रशान्त एवं उसके परिवार के लिए क्या भिन्न– भिन्न विकल्प हो सकते थे।

अ 1 एक व्यक्ति की सामान्य सुरक्षा जरुरतें

एक व्यक्ति द्वारा बीमा के रूप में वित्तीय सुरक्षा चाहने के कई कारण है। ये जरुरतें निम्न प्रकार है :–

अ 1 अ. आय

एक व्यक्ति को अपनी आय की सुरक्षा करने की बहुत जरुरत है जिसे वह वर्तमान में उपार्जित कर रहा है तथा भविष्य में बनाये रखने की आशा है। हमनें उपरोक्त प्रकरण–अध्ययन में देखा है कि बिना आय सुरक्षा असमय मृत्यु एक परिवार को कितनी वित्तीय परेशानी में डाल सकती है। अवधि बीमा आय की भावी हानि को रोकने में सहायता कर सकता है।

अ 1 बमेडिकल जरुरतें

मेडिकल आकस्मिकताएँ तब प्रहार करती है जब उनकी न्यूनतम अपेक्षा की जाती है। हमनें उपरोक्त प्रकरण अध्ययन में देखा है कि प्रशान्त के पिता सेवानिवृत है एवं उस पर आश्रित है। यदि वृद्धावस्था में बीमारी से सामना हो ; तो उपचार में होने वाला व्यय पारिवारिक आय प्रदाता को गहरा आघात दे सकता है। मेडिकल बीमा अनपेक्षित मेडिकल आकस्मिकताओं के विरूद्ध सुरक्षा में सहायता कर सकता है।

अ 1 स आश्रित

- **बच्चों की शिक्षा :–** इन दिनों बहुत सारे बच्चे एम बी ए / इंजीनियरिंग /मेडिकल पाठ्यक्रम में जाना चाहते है तथा कुछ सीमित संख्या में अच्छे संस्थान स्तरीय शिक्षा दे रहे है, शिक्षा की लागतें तीव्र गति से बढ रही है। परिणामस्वरूप, माता–पिता को पहले से ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी योजना की जरुरत होती है। उपरोक्त प्रकरण अध्ययन में हमनें देखा है कि एक अभिभावक की असमय मृत्यु किस प्रकार उसके बच्चे की शिक्षा योजनाओं को ध्वस्त कर सकती है। इसलिए बच्चों की शिक्षा हेतु निधि की सुरक्षा की जरुरत होती है। एक बाल बीमा योजना (जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से पढेंगें) अभिभावक की अनुपस्थिति में इस मामले में सहायता कर सकती है।

- **बच्चों का विवाह :–** अभिभावक अपने बच्चे की जरुरत के अनुसार उसे प्रत्येक उच्च स्तरीय वस्तु देने के लिए सब कुछ करेंगे। अभिभावक का सपना होता है कि उनकी एक मात्र पुत्री का विवाह स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छा होना चाहिए तथा प्रत्येक मेहमान के लिए चर्चा का विषय बनना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए, अभिभावक बच्चे के जन्म से ही उसके विवाह के लिए निवेश करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक अभिभावक की असमय मृत्यु विवाह की योजना के सपने को तोङ डालती है। अतः सुरक्षा की जरुरत होती है। एक बाल बीमा योजना अभिभावक की असमय मृत्यु की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने में सहायता कर सकती है।

अ 1 दसम्पतियाँ तथा दायित्व

सम्पतियाँ जैसे कि हमारा मकान, कार या व्यवसाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सम्पतियों के निर्माण में विशाल प्रारम्भिक निवेश की जरूरत होने के कारण – उनके लिए धन हेतु हमें ऋण के लिए आवेदन करना होगा। यह सुनिश्चित करना परिवार के आय प्रदाता व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि इन ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान हो। लेकिन यदि आय प्रदाता की असमय मृत्यु हो जाती है, कौन इन ऋणों के लिए जिम्मेदारी लेगा ? हमनें उपरोक्त प्रकरण अध्ययन में देखा है कि किस प्रकार प्रशान्त के परिवार ने अपनी कार एवं मकान खो दिया क्योंकि वे प्रशान्त की अनुपस्थिति में ई एम आई के पुनर्भुगतान में समर्थ नहीं थे। अतः मुख्य आय प्रदाता की अनुपस्थिति में इन सम्पतियों (ऋणों) की सुरक्षा की जरुरत होती है इस मामले में गृह या अवधि बीमा सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अतिरिक्त अवधि बीमा आय प्रदाता की असमय मृत्यु होने के मामले में क्रेडिट कार्ड बकाया, व्यक्तिगत ऋणों, कार ऋण तथा अन्य किसी भी ऋण के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

अ 1 य परिवार की देखभाल

आय प्रदाता की अनुपस्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा की जरुरत होती है। हमनें प्रकरण अध्ययन में देखा है कि प्रशान्त की मृत्यु के बाद उसके परिवार का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। यदि केवल एक आय प्रदाता है तब बीमित को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय से पूर्व मृत्यु के मामले में अपने परिवार की देखभाल के लिए उसके पास पर्याप्त जीवन बीमा है। यहाँ एक अवधि बीमा योजना परिवार को एक मुश्त राशि प्रदान कर सकती है या एक पेंशन योजना नियमित आय प्रदान कर सकती है।

ध्यान रहे!

उचित वित्तीय योजना उपरोक्त सभी जरूरतों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। एक उचित वित्तीय योजना सुरक्षा, निवेश का प्रतिफल तथा कर लाभों के रूप में तीन लाभ प्रदान कर सकती है।

इस पर विचार करे

अब चूंकि आप एक व्यक्ति की सामान्य सुरक्षा जरुरतों को जान गये हैं आप अपनी निजी सुरक्षा जरुरतों की सूची बनाइए। क्या आपको कोई अन्य सुरक्षा जरुरत है जिसे ऊपर वर्णित नहीं किया गया है ?

अ 2 सुरक्षा जरुरतों को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक

किसी ग्राहक की सही सुरक्षा जरुरतें निम्नलिखित निजी एवं वित्तीय विवरणों से प्रभावित होती है :

चित्र 5.1

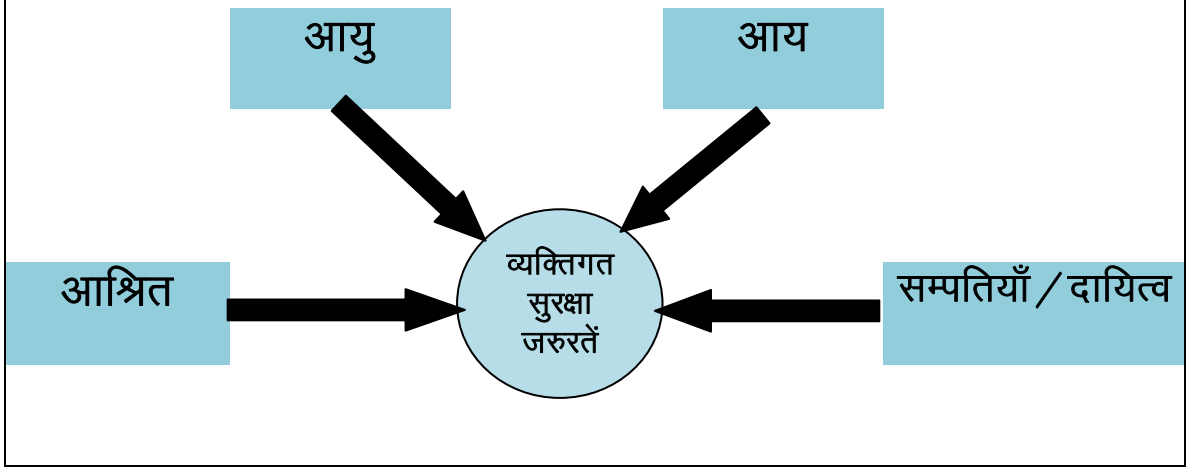

चलो इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से नजर डालें।

अ 2 अ आयु

आयु एक व्यक्ति की जरुरतों को कई तरह से प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति अपने पहले 20 वर्षों में कमाना शुरू करता है तो वे आत्म सुरक्षा तथा आय की सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते है। उत्तरोत्तर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बढता है जब उसका विवाह होता है, सम्पति जैसे आवास, सेवानिवृति आयु के बाद आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था तथा अपने आश्रित माँ–बाप की देखभाल की आवश्यकताओं की पूर्ति। बढती आयु सुरक्षा खरीदने की लागत को भी प्रभावित करती है। 20–25 वर्ष आयु समूह के एक व्यक्ति के लिए बीमा प्रीमियम एक 30–35 वर्ष की आयु से बहुत कम होता है। अतः जल्दी से जल्दी बीमा सुरक्षा खरीदने में ही चतुराई है।

अ 2 ब आश्रित

जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, तो उसका परिवार बढता है तथा वह अपनी पत्नी /पति तथा बच्चों का उत्तरदायित्व उठाता है। किसी व्यक्ति की आयु बढने के साथ जब उसके अभिभावक सेवानिवृत होंगे, वे भी उस पर आश्रित हो सकते है, इस तरह व्यक्ति के आश्रितों की संख्या बढती है तथा एक उच्च बीमा सुरक्षा कवर की जरुरत बढती है।

अ 2 स आय

एक व्यक्ति की आय उसके वित्तीय उत्तरदायित्वों, जैसे उसके बच्चों की शिक्षा, बच्चों के विवाह, एक मकान खरीदने तथा सेवानिवृति कोष की स्थापना के लिए आवश्यक योजनाओं को साकार करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है।

जब एक व्यक्ति उपार्जन शुरू करता है तो उसकी आय सामान्यतः कम होती है। इस अवस्था में आय जरुरतों जैसे एक मकान तथा/या एक कार खरीदने की पूर्ति नहीं कर सकती है। ऋण इस विसंगति को पाटता है। परिवार के मुख्य आय प्रदाता के साथ कुछ भी अप्रिय घटित होने की स्थिति में इस ऋण के विरूद्ध बीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। उत्तरदायित्वों जैसे बच्चों की शिक्षा

तथा विवाह एवं अपने सेवानिवृति के लिए निवेश करते समय व्यक्ति एक छोटी राशि से शुरूआत कर सकता है तथा अपना निवेश अपनी आय बढाने के साथ–साथ बढा सकता है।

अ 2 द सम्पतियाँ तथा दायित्व

सम्पतियाँ तथा दायित्व किसी व्यक्ति की सुरक्षा जरुरतों पर एक बडी सीमा तक प्रभाव डालते है। सम्पतियों जैसे एक मकान के लिए वित्त मुख्यतया ऋण के माध्यम से प्राप्त होता है। आय की सुरक्षा उपलब्ध होने पर परिवार आय प्रदाता की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान में सक्षम होता है।

आय प्रदाता की मृत्यु की स्थिति में एक कार खरीदने या अवकाश का आनन्द लेने के उद्देश्य से लिये गये ऋणों जैसे दायित्व परिवार के सदस्यों पर भार डाल सकते हैं। परिवार को इन ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये अन्य सम्पतियों या निवेशों को बेचने या तोङने पर मजबूर कर सकता है और यह परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है।

ब जीवन बीमा उत्पाद

ब 1. एक जीवन बीमा योजना के मूल तत्व

जीवन बीमा कम्पनियाँ जल्दी मृत्यु होने के जोखिम या अत्याधिक लम्बे जीवन के जोखिम को कवर करते हुए विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करती है। भारत में बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित अधिकांश बीमा योजनाओं में दो मूल तत्व होते है :–

- **मृत्यु कवर** – यह राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में नामित/लाभग्रहिता को भुगतान की जाती है।
- **परिपक्वता लाभ** – यह राशि पॉलिसी की परिपक्वता पर भुगतान की जाती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है। कुछ पॉलिसियाँ जैसे मनी–बैक पॉलिसियाँ परिपक्वता से पूर्व पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को समय–समय पर भुगतान भी करती है ये उत्तरजीविता अनुलाभ कहलाते है। मनी–बैक पॉलिसियों के बारे में इस अध्याय के भाग ब 2 एम में विस्तार से चर्चा की जायेगी।

ध्यान रहे!
सामान्यतया पॉलिसियाँ केवल एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित ली जाती है, जिसे एकल बीमित जीवन पॉलिसी कहा जाता है। एक से अधिक व्यक्तियों को बीमित करने वाली पॉलिसियों के बारे में हम भाग ब 2 ल तथा ब 2 श में देखेंगें।

ब 2 मूल जीवन बीमा योजनाएँ

बीमा उद्योग द्वारा प्रस्तुत जीवन बीमा के मुख्य प्रकार नीचे वर्णित है :–

ब 2 ए अवधि बीमा योजना

यह जीवन बीमा उद्योग द्वारा प्रस्तुत मूलभूत योजना है जो बीमे का सरलतम रूप है। इस योजना में जीवन बीमा कम्पनी एक निर्दिष्ट राशि (बीमा धन) भुगतान करने का वादा करती है यदि बीमित की मृत्यु योजना अवधि के दौरान हो जाती है। यदि बीमित व्यक्ति योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है तब वे कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे अर्थात ऐसी पॉलिसियों में कोई परिपक्वता लाभ नही होता है।

अतः संक्षेप में, यह योजना प्लान की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में केवल मृत्यु कवर देती है।

उदाहरण
प्रशान्त ए बी सी बीमा कम्पनी से 30 वर्षो के लिए 75 लाख रू. बीमा धन की एक अवधि बीमा योजना लेता है। पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार यदि पॉलिसी अवधि के 30 वर्षो के दौरान प्रशान्त की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कम्पनी प्रशान्त के नामिति को 75 लाख रू. की राशि का भुगतान करेगी।
तथापि, यदि प्रशान्त सम्पूर्ण पॉलिसी अवधि के 30 वर्षो तक जीवित रहता है तब वह कोई परिपक्वता या जीवित हित प्राप्त नहीं करेगा।

मुख्य बिन्दु

- अवधि बीमा योजना केवल मृत्यु कवर देती है।
- बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित बीमा योजनाओं का यह सरलतम रूप है।
- अवधि बीमा योजनाएँ बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती बीमा योजना है। एक कम प्रीमियम पर कोई व्यक्ति अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु एक बड़ी राशि का कवर प्राप्त कर सकता है।
- अवधि : जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये योजनाएँ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। सामान्यतः अवधि 5 वर्षो से शुरू होती है तथा 10, 15, 20, 25, 30 वर्षो अथवा बीमित द्वारा चयनित तथा बीमाकर्त्ता द्वारा स्वीकृत किसी अवधि तक चलती है।
- दायित्वों की पूर्ति हेतु सुरक्षा : बड़े दायित्वों जैसे गृह ऋण या कार ऋण को कवर करने के लिए अवधि बीमा कवर सर्वोतम हल होता है।
- बीमा कम्पनियाँ कुछ अवधि योजनाओं के अन्तर्गत योजना की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति के मृत्यु कवर को बढाने या घटाने की अनुमति देती है।
- न्यूनतम तथा अधिकतम बीमा धन : अधिकतर अवधि योजनाओं के लिए बीमा कम्पनी न्यूनतम तथा अधिकतम बीमा धन निर्दिष्ट करती है। कुछ कम्पनियों में अधिकतम बीमा धन जोखिमांकनकर्ता के विवेकाधीन होता है।
- न्यूनतम तथा अधिकतम आयु :– अधिकतर बीमा कम्पनियाँ अवधि बीमा योजनाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु निर्दिष्ट करती है।

ब 2 ब प्रीमियम की वापसी (ROP) योजना

कुछ बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम के प्रतिफल के रूप में विभिन्न अवधि बीमा योजनाएँ भी प्रस्तावित करती है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु योजना अवधि के दौरान हो जाती है, तो बीमा कम्पनी निर्दिष्ट राशि (बीमा धन) का भुगतान नामिति /लाभगृहिता को करती है। यदि बीमित व्यक्ति सम्पूर्ण पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है तब परिपक्वता पर बीमा कम्पनी पॉलिसी की शर्तो के अनुसार प्रीमियम का कुछ भाग, या भुगतान किया गया सम्पूर्ण प्रीमियम बीमित व्यक्ति को वापिस करती है।

अवधि बीमा योजनाओं के अन्य स्वरूपों में, कुछ कम्पनियाँ परिपक्वता पर प्रीमियम के साथ कुछ ब्याज का भुगतान भी करती है यदि बीमित व्यक्ति परिपक्वता तक जीवित रहता है।

इस पर विचार करें
यदि आपको एक अवधि बीमा योजना तथा एक प्रीमियम वापसी योजना में से चयन करना हो तो, आप किसका चयन करेंगे और क्यों ?

ब 2 सशुद्ध बन्दोबस्ती योजना

एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना एक अवधि योजना का विलोम होती है। इस योजना में जीवन बीमा कम्पनी बीमित को मात्र एक निर्दिष्ट राशि (बीमा धन) का भुगतान करने का वचन देती है यदि वे योजना की अवधि तक जीवित रहते है। यदि एक बीमित व्यक्ति की योजना की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तब उनको किसी तरह का भुगतान नहीं होगा।

अतः संक्षेप में, यह योजना सम्पूर्ण अवधि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने की स्थिति में केवल परिपक्वता लाभ प्रदान करती है। इसमें कोई मृत्यु कवर नहीं होता है।

उदाहरण
प्रशान्त ए बी सी बीमा कम्पनी से 30 वर्षो के लिए रू. 75 लाख बीमा धन की एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना लेता है। पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार यदि प्रशान्त पॉलिसी अवधि के 30 वर्षो तक जीवित रहता है तो बीमा कम्पनी प्रशान्त को पॉलिसी की परिपक्वता पर रू. 75 लाख का भुगतान करेगी।

तथापि, यदि प्रशान्त की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 30 वर्षो के दौरान हो जाती है तो वह कोई मृत्यु कवर नहीं प्राप्त करेगा।

जीवन बहुत अनिश्चित है। प्रशान्त जैसे लोग यह निर्णय लेने में कभी समर्थ नहीं होंगे कि उनकी जरुरतों के लिए एक अवधि बीमा योजना या शुद्ध बन्दोबस्ती योजना उपयुक्त होगी क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कितने समय तक जीवित रहेंगें या कब मर जायेंगे।

अतः यदि प्रशान्त 30 वर्षो के लिए एक अवधि बीमा योजना लेता है तथा योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है, तब 30 वर्षो के उपरान्त वह कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। इसी तरह, यदि वह 30 वर्षो के लिए एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना लेता है तथा दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान वह मर जाता है, तब भी उसका नामिति /लाभगृहिता कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा।

उपरोक्त जैसी वर्णित परिस्थितियाँ बीमा योजना के चयन के बारे में लोगों को भ्रमित कर देती है। उपरोक्त परिस्थिति को हल करने के लिए, जीवन बीमा कम्पनियाँ उपरोक्त दो योजनाओं के लक्षणों को मिलाती है तथा उन्हें एक बन्दोबस्ती योजना के रूप में प्रस्तुत करती है।

ब 2 द बन्दोबस्ती बीमा योजना

एक बन्दोबस्ती बीमा योजना मूलतः एक अवधि बीमा योजना तथा एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना का मिश्रण होता है। यह मृत्यु कवर प्रस्तावित करती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की अवधि के दौरान मर जाता है या जीवित हित लाभ प्रस्तावित करती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता तक जीवित रहता है।

उदाहरण
प्रशान्त 30 वर्षो के लिए रू. 75 लाख बीमा धन की एक बन्दोबस्ती बीमा योजना लेता है। पॉलिसी

की शर्तो के अनुसार यदि प्रशान्त 30 वर्षो तक जीवित रहता है तो, बीमा कम्पनी प्रशान्त को रू. 75 लाख तथा अर्जित बोनस का भुगतान पॉलिसी की परिपक्वता पर करेगी। यदि प्रशान्त की पॉलिसी अवधि के 30 वर्षो के दौरान या पॉलिसी की परिपक्वता से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामिति /लाभग्रहिता रू. 75 लाख तथा उसकी मृत्यु तक निहित बोनस राशि मृत्यु कवर के रूप में प्राप्त करेगा तथा पॉलिसी बन्द हो जायेगी।

उपरोक्त योजना निम्न का मिश्रण है :–

- 30 वर्षो के लिए रू. 75 लाख का एक अवधि बीमा योजना ; तथा
- 30 वर्षो के लिए रू. 75 लाख का एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना ।

इसलिए यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रशान्त की मृत्यु हो जाती है, तो अवधि बीमा योजना द्वारा भुगतान होगा, लेकिन यदि वह पूर्ण पॉलिसी अवधि के 30 वर्षो तक जीवित रहता है तो शुद्ध बन्दोबस्ती द्वारा भुगतान होगा ।

ध्यान रहे!

भारत में जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश योजनाएँ अवधि बीमा तथा शुद्ध बन्दोबस्ती योजनाओं का मिश्रण होती है।

इस पर विचार करें

यदि आपको एक अवधि बीमा योजना, एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना या एक बन्दोबस्ती बीमा योजना में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों ?

मुख्य बिन्दु

- बन्दोबस्ती बीमा योजनाओं में यदि बीमित व्यक्ति योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है तो परिपक्वता पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जाता है।
- **मृत्यु कवर** : इन योजनाओं में मृत्यु कवर तत्व होता है। यदि बीमित की मृत्यु योजना की परिपक्वता से पूर्व हो जाती है, तब नामिति /लाभगृहिता को मृत्यु कवर लाभ का भुगतान किया जाता है।
- **बचत तत्व** : इन योजनाओं में मृत्यु कवर के अलावा बचत तत्व भी होता है। प्रीमियम में से मृत्यु कवर प्रभार तथा प्रशासनिक प्रभार घटाने के पश्चात, शेष राशि बीमा कम्पनी द्वारा निवेशित की जाती है। उपार्जित प्रतिफल से बीमित व्यक्ति को बोनस के रूप में कुछ भुगतान कर दिया जाता है।
- **लक्ष्य आधारित निवेश** : ये योजनाएँ किसी एक विशिष्ट योजना जैसे एक बच्चे की उच्च शिक्षा या विवाह आदि के लिए धन संचय के लिए भी खरीदी जा सकती है।
- कुछ बीमा कम्पनियाँ आँशिक आहरण या इन पॉलिसियों पर ऋण की अनुमति भी देती है।
- यह योजना विभिन्न विभेदों के रूप में भी प्रस्तुत की जाती है। कुछ योजनाएँ परिपक्वता लाभ की तुलना में उच्च मृत्यु कवर अथवा इसका विलोम प्रस्तुत करती हैं।
- कुछ योजनाओं में परिपक्वता लाभ मृत्यु कवर का दुगुना होता है। इस प्रकार की योजना दोहरी बन्दोबस्ती बीमा योजना के रूप में जानी जाती है।

प्रश्न 5.1

एक जीवन बीमा योजना के मूल तत्वों को समझाइए।

सहभागिता तथा गैर–सहभागिता पॉलिसियाँ

अधिकांश बन्दोबस्ती पॉलिसियों के प्रीमियम में बचत का तत्व भी शामिल रहता है। बीमा कम्पनी द्वारा यह राशि पॉलिसीधारकों की ओर से निवेश की जाती है तथा इस पर उपार्जित लाभ पॉलिसीधारकों में बोनस के रूप में वितरित कर दिया जाता है।

ऐसी योजनाएँ जहाँ पॉलिसीधारक बीमा कम्पनी के लाभ में सहभागिता प्राप्त करने हेतु अधिकृत होते है "लाभयुक्त" योजनाएँ या सहभागिता " योजनाएँ कहलाती है। अधिकांश बन्दोबस्ती, मनी–बैक तथा आजीवन योजनाएँ सहभागिता योजनाएँ होती है। मनी बैक तथा आजीवन योजनाओं पर अधिक विस्तृत चर्चा इस भाग में बाद में की जायेगी।

योजनाएँ जिनमें पॉलिसीधारक बीमा कम्पनी के लाभों में सहभागिता हेतु अधिकृत नहीं होता है लाभ रहित या गैर सहभागिता योजनाएँ कहलाती है। शुद्ध अवधि बीमा योजनाएँ लाभ रहित योजनाओं का एक उदाहरण है।

संस्तुत क्रिया

यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा है, तो पाँच बीमा कम्पनियों की वेबसाइट देखें तथा उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न बन्दोबस्ती योजनाओं की विशिष्ट शर्तो/लाभों का अध्ययन करें। पाँचों कम्पनियों की बन्दोबस्ती योजनाओं की विशिष्ट शर्तो/लाभों का तुलनात्मक चार्ट बनायें। आपके विचार से कौनसी कम्पनी सर्वोतम बन्दोबस्ती योजना प्रस्तावित करती है और क्यों ?

ब 2 य आजीवन बीमा योजनाएँ

- एक अनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक अवधि योजना एक आजीवन योजना कहलाती है। कुछ योजनाओं में बचत तत्व भी होता है। बीमा कम्पनी इन योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले निवेश पर उपार्जित प्रतिफल के आधार पर बोनस की घोषणा करती है।
- जैसा कि योजना के नाम से स्पष्ट है योजना बीमित की सम्पूर्ण जीवन अवधि को कवर करती है।
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, नामिति /लाभगृहिता को बीमा धन के साथ उस अवधि तक अर्जित/निहित बोनस का भुगतान किया जाता है।
- व्यक्ति की जीवन अवधि के दौरान वह अपनी आपातकालीन जरुरतों को पूरा करने के लिए पॉलिसी से नियमानुसार ऋण भी ले सकता है।

उदाहरण

बीमा कम्पनी ए बी सी 100 वर्ष की आयु तक सुरक्षा देते हुए एक आजीवन बीमा योजना प्रस्तुत करती है।

मृत्यु कवर – बीमित की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाने पर नामिति /लाभगृहिता को बीमाधन के साथ इस तिथि तक निहित बोनस का भुगतान किया जाता है।

उत्तरजीविता/ जीवित हित लाभ – यदि बीमित व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है तो उसे बीमा धन बोनस के साथ भुगतान किया जाता है।

संस्तुत क्रिया

अब तक आपने अवधि योजनाओं, बन्दोबस्ती योजनाओं तथा आजीवन योजनाओं के विशिष्ट लाभों तथा शर्तों को पढा है। उन परिदृश्यों/ परिस्थितियों की सूची बनाइये जिनमें एक व्यक्ति तीनों योजनाओं में से प्रत्येक का अलग–अलग चयन करेगा।

ब 2 र परिवर्तनीय बीमा योजनाएँ

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बीमा योजना एक प्रकार की योजना से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक अवधि बीमा योजना एक बन्दोबस्ती योजना या एक आजीवन योजना या बीमा कम्पनी द्वारा अनुमन्य अन्य किसी योजना में परिवर्तित हो सकती है।

एक परिवर्तनीय योजना तब उपयोगी होती है जब बीमित व्यक्ति अपने रोजगार /व्यवसाय के प्रारम्भ में उच्च प्रीमियम भुगतान वहन नहीं कर सकता है। इसलिए वे कम प्रीमियम से अवधि बीमा योजना से शुरूआत कर सकते है तथा फिर उसे बाद में एक उच्च प्रीमियम की बन्दोबस्ती योजना या आजीवन योजना में परिवर्तित करवा सकते है। योजना परिवर्तन के समय बीमित व्यक्ति को मेडिकल जाँच भी नहीं करवानी पड़ती है। परिवर्तनीय योजना का अन्य लाभ यह है कि परिवर्तन के समय जोखिमांकन निर्णय भी नहीं किया जाता है।

ब 2 व संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ

- संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ एक ही पॉलिसी में दो व्यक्तियों को बीमा कवर उपलब्ध करवाती है। यह योजना विवाहित युगल या किसी व्यवसाय /फर्म में साझेदारों के लिए आदर्श होती है।
- कुछ संयुक्त जीवन बीमा योजनाओं में किसी एक संयुक्त पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर तथा पुनः जीवित पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर, उस तिथि तक संचित/निहित बोनस के साथ मृत्यु कवर भुगतान योग्य हो जाता है, यदि दोनों पॉलिसीधारकों की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान हो जाती है।
- यदि पॉलिसी की परिपक्वता तक दोनों संयुक्त पॉलिसीधारक जीवित रहते या एक संयुक्त पॉलिसीधारक जीवित रहता है, तब परिपक्वता लाभ के साथ उस तिथि तक संचित/निहित बोनस का भुगतान कर दिया जाता है।
- कुछ संयुक्त जीवन पॉलिसियों में प्रीमियम का भुगतान चयनित अवधि तक किया जाता है या प्रथम संयुक्त पॉलिसीधारक की मृत्यु पर प्रीमियम भुगतान बन्द कर दिया जाता है।
- संयुक्त जीवन पॉलिसियों के मामले में प्रत्येक जीवन का जोखिमांकन अलग–अलग किया जाता है।

इस पर विचार करें

विवाह के पश्चात्, आप अपने पति या पत्नी तथा अपने लिए अलग–2 बीमा पॉलिसियाँ लेना पसन्द करेंगे या आप एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेना पसन्द करेंगे ? ऐसे कौनसे बिन्दु है जिन पर आप इस बारे में निर्णय करने से पूर्व विचार करना चाहेंगे?

ब 2 व एन्यूटीज

एन्यूटी किसी व्यक्ति (एन्यूटीधारक) द्वारा एन्यूटी प्रदानकर्ता (बीमा कम्पनी) को भुगतान की गई राशि (क्रय मूल्य) के प्रतिफल स्वरूप एक विनिर्दिष्ट अवधि (वर्षों) तक श्रंखलाबद्ध एक निर्धारित राशि के भुगतान को कहते हैं।

क्रय मूल्य भुगतान के आधार पर एन्यूटीज हो सकती है

- एक तत्काल एन्यूटी ; या
- एक आस्थगित एन्यूटी

एन्यूटी जीवन बीमा का विलोम होता है। जीवन बीमा में बीमा कम्पनी जोखिम लेती है, लेकिन एन्यूटी के साथ एन्यूटीधारक इस बात का जोखिम लेता है कि क्रय मूल्य भुगतान के पश्चात बहुत कम समय में अर्थात जल्दी उसकी मृत्यु नहीं होगी।

एन्यूटी के विभिन्न प्रकार उपलब्ध है (जैसे एक संयुक्त जीवन, अन्तिम जीवित व्यक्ति/क्रय मूल्य के प्रतिफल में जीवन एन्यूटी/बढती हुई एन्यूटी) तथा इसके बारे में हम विस्तार से अध्याय 7 में देखेंगें।

ब 2 स समूह बीमा योजनाएँ

- एक समूह बीमा पॉलिसी लोगों के एक समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जो किसी एक सामान्य उद्देश्य से उसे खरीदते है।
- लोगों का समूह हो सकता है :–

– किसी संगठन के कर्मचारी ;
– किसी बैंक के ग्राहक ;
– किसी ट्रेड यूनियन (मजदूर संघ) के सदस्य ;
– किसी व्यवसायिक संगठन जैसे लेखाकार संघ के सदस्य, या
– लोगों का अन्य कोई समूह जो किसी उद्देश्य की समानता के कारण एक साथ होते है या एक समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते है।

- एक समूह बीमा पॉलिसी में बीमा कम्पनी समूह के सभी सदस्यों को कवर करते हुए एक मास्टर पॉलिसी जारी करती है। उदाहरण के लिए : बीमा कम्पनी किसी नियोक्ता को कम्पनी के सभी कर्मचारियों को कवर करती हुई मास्टर पॉलिसी जारी करेगी। नियोक्ता "मास्टर पॉलिसीधारक" के नाम से जाना जायेगा।
- बीमा की संविदा बीमा कम्पनी तथा मास्टर पॉलिसीधारक के मध्य होती है। कर्मचारी बीमा संविदा के प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होते है।
- समूह बीमा योजनाएँ किसी समूह (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग) को बीमा कंवर प्रदान करके समाज कल्याण के एक माध्यम/साधन के रूप में सरकार द्वारा उपयोग की जाती है।
- जुलाई 2005 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा IRDA) ने समूह बीमा पॉलिसियों हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं।

उदाहरण

ए बी सी बीमा कम्पनी एक समूह जीवन बीमा योजना प्रस्तावित करती है जो कि कम सम्पन्न व्यक्तियों की बीमा जरुरतों को पूरा करती है।

इन योजनाओं द्वारा आवरित किये जाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए पात्रता की विशिष्ट शर्ते कम्पनी निर्धारित करती है।

मृत्यु कंवर – किसी एक सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके नामिति /लाभगृहिता को रू. 30,000 का बीमा धन भुगतान किया जाता है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर नामिति /लाभगृहिता को रू. 75,000 का भुगतान किया जाता है।

ब 2 लघु बीमा योजनाएँ

- नवम्बर 2005 में इरडा (IRDA) ने इरडा (लघु बीमा) विनियम 2005 के माध्यम से लघु बीमा के लिए मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी किये हैं। लघु बीमा का उद्देश्य अल्प आय समूह को बीमा कवर प्रदान करना है।
- इरडा ने निर्दिष्ट किया है कि लघु बीमा उत्पादों के अन्तर्गत प्रदत्त मृत्यु कवर सीमा रू. 5,000 से रू. 50,000 तक होगी।
- एक जीवन बीमाकर्त्ता लघु जीवन बीमा उत्पादों के साथ–साथ लघु साधारण बीमा उत्पाद या विलोमतः प्रस्तावित करता है (यह स्थिति केवल लघु बीमा उत्पादों के लिए अनुमन्य है, न कि साधारण बीमा उत्पादों के अन्य किसी प्रकारों के लिए)।

ब 2 श यूनिट–लिंक्ड बीमा योजनाएँ (ULIPs)

यूनिट लिंक्ड पॉलिसियाँ लाभ सहित बीमा पॉलिसियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण तथा कम गारन्टीयुक्त होती है। तथापि, वे बहुत अधिक लचीली होती है। यूनिट–लिंक्ड पॉलिसियों के लचीलेपन का लाभ उठाते हुए कुछ निवेश जोखिम लेने के लिए तैयार लोगों के लिए उपयुक्त होती है। प्रतिफल पूँजी बाजार की गतिशीलता पर आधारित होता है जहाँ निवेश इक्वीटीज (शेयरों) के लेन–देन (ट्रेडिंग) द्वारा किया जाता है (शेयरों की पूर्ण परिचर्चा अध्याय 6 में की जायेगी) ।

इस पर विचार करें

यदि आपको एक यू एल आई पी तथा एक परम्परागत पॉलिसी (अवधि /बन्दोबस्ती/आजीवन) में से चयन करना हो, तो आप किसका चयन करेंगे ? वे क्या बिन्दु/तथ्य है जिनका आप इस पर निर्णय लेते समय ध्यान रखेंगें?

मुख्य बिन्दु

- यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएँ (यू एल आई पी) जीवन बीमा तथा निवेश पर प्रतिफल दोनों के लाभ प्रदान करती है।
- परम्परागत योजनाओं में बीमा कम्पनी बीमित की ओर से किये जाने वाले निवेश पर निर्णय लेती है। जबकि एक यू एल आई पी में बीमित व्यक्ति को निवेश का चयन करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे इक्विटी निधि, ऋण निधि, सन्तुलित निधि तथा मुद्रा बाजार निधि।
- यू एल आई पी बीमित को पूँजी बाजार की वृद्धि में सहभागिता का विकल्प देती है।
- बीमित की मृत्यु पर बीमा धन या निवेश का बाजार मूल्य (निधि मूल्य), जो भी उच्च हो, का भुगतान किया जाता है।
- योजना की परिपक्वता पर निधि मूल्य का भुगतान होता है।
- **निपटान विकल्प –** कुछ बीमा योजनाओं में परिपक्वता दावा राशि एक मुश्त लेने के स्थान पर परिपक्वता तिथि के बाद एक निर्धारित अवधि (जो 05 वर्ष या 05 वर्षो तक हो सकती है) में कम्पनी द्वारा विशेष रूप से रचित/निर्धारित किश्तों में लेने का विकल्प उपलब्ध होता है।

  इसे निपटान विकल्प के रूप में जाना जाता है। यदि पॉलिसीधारक निपटान विकल्प लेने की इच्छा रखता है तो उसे बीमा कम्पनी को अग्रिम सूचना देना आवश्यक है।

प्रश्न 5.2

एक समूह बीमा योजना के विशिष्ट गुणों/लाभों/शर्तों की सूची बनाइयें।

बाल योजनाएँ

- बाल बीमा योजनाएँ अभिभावकों को अपने बच्चों की भावी वित्तीय जरुरतों जैसे शिक्षा, विवाह आदि की पूर्ति में सहायता करती है।
- बाल बीमा योजनाएँ बचत के साथ बीमा का दोहरा लाभ प्रदान करती है।
- यह तथ्य महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य है कि बच्चे की स्वयं की कोई आय नहीं होती है बल्कि वे पूर्ण रूप से अपने अभिभावकों पर आश्रित रहते है। अभिभावक बच्चे की भावी वित्तीय जरुरतों के लिए धन संचित करने के लिए बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान करते है।
- बच्चा लाभग्रहिता होता है जो पॉलिसी की परिपक्वता पर लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है।
- इन योजनाओं में, बीमित बच्चे के जीवन का जोखिम कवर तब शुरू होता है जब बच्चा पॉलिसी में उल्लिखित एक विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर लेता है। पॉलिसी की आरम्भ तिथि तथा जोखिम कवर प्रारम्भ तिथि के मध्य का समयान्तराल आस्थगित अवधि कहलाती है।
- वह तिथि जिस पर आस्थगित अवधि की समाप्ति पर जोखिम कवर प्रारम्भ होगा विहित तिथि कहलाती है। आस्थगन तिथि पॉलिसी की वर्षगाँठ होगी।
- आस्थगित अवधि के दौरान कोई बीमा कवर नहीं होता है।
- जब बच्चा वयस्कता की आयु(18 वर्ष) प्राप्त कर लेता है तो पॉलिसी का स्वत्वाधिकार स्वतः ही बीमित बच्चे को प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया अधिकार विहित होना कहलाती है। वह तिथि जिस पर पॉलिसी का स्वत्वाधिकार बच्चे को स्थानान्तरित होता है, विहित तिथि के रूप में जानी जाती है।
- स्वत्वाधिकार प्राप्ति के बाद पॉलिसी बीमाकर्ता एवं बीमित व्यक्ति(इस मामले में बच्चें) के मध्य संविदा बन जाती है।
- कुछ बाल बीमा योजनाएँ प्रीमियम परित्याग लाभ सहित होती है जबकि अन्य बाल बीमा योजनाओं के मामले में अभिभावक कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके प्रीमियम परित्याग लाभ का चयन कर सकते है। इसमें यदि पॉलिसी अवधि के दौरान अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कम्पनी अभिभावक की ओर से प्रीमियम का भुगतान जारी रखेगी (जब तक बच्चा वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं करता है) तथा पॉलिसी अखण्डित /अक्षुण बनी रहती है। बच्चा पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार पॉलिसी अवधि के अन्त में लाभ प्राप्त करता है। प्रीमियम परित्याग सम्बन्धी परिशिष्ट पर अध्याय 7 में चर्चा की जायेगी।
- बाल बीमा योजनाएँ बन्दोबस्ती योजनाओं, मनी–बैक योजनाओं या यूलिप (ULIPs) के रुप में ली जा सकती हे।

ब 2 एम मनी–बैंक पॉलिसियाँ

- मनी–बैंक पॉलिसियों में बचत तथा बीमा का दोहरा लाभ शामिल होता है तथा शर्तों में कुछ हद तक बन्दोबस्ती योजना के समान होती है।

- एक बन्दोबस्ती योजना में, पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के अन्त में परिपक्वता लाभ प्राप्त करता है। जबकि मनी–बैक पॉलिसियों में पॉलिसी अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर "आंशिक उत्तरजीविता हितलाभों" का भुगतान किया जाता है।
- पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित या परिवर्तनशील अनुपात में उत्तरजीविता लाभ प्राप्त कर सकता है।
- वर्तमान कर विधि के अनुसार पॉलिसीधारक को विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर प्राप्त होने वाले उत्तरजीविता हित लाभों पर आयकर से छूट प्राप्त होती है।
- यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है तो नामिति / लाभग्रहिता सम्पूर्ण बीमा धन के साथ अर्जित बोनस (यदि कोई हो) बीमित को भुगतान किये गए उत्तरजीविता हित को घटाये बिना प्राप्त करता है।

उदाहरण

चेतन मिश्रा ए बी सी बीमा कम्पनी से 20 वर्षीय मनी–बैक पॉलिसी लेता है। बीमा धन रू. 20,00,000 है। वह मनी– बैक पॉलिसी का चयन करता है क्योंकि वह अपने जीवित रहने के दौरान अपनी बचतों के प्रतिफल का आनन्द उठाना चाहता है। वह अपनी पत्नी सुमेधा को पॉलिसी की लाभग्रहिता नामिति करता है। उस मनी–बैक पॉलिसी के अन्तर्गत वह उत्तरजीविता हित लाभ के रूप में 25% 5, 10, तथा 15 वर्षों के पश्चात् प्राप्त करेगा तथा 20 वे वर्ष की समाप्ति पर शेष 25% उत्तरजीविता हित लाभ भुगतान योग्य होगा।

परन्तु एक दुखान्त घटना परिवार को हिला देती है। चेतन की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। सुमेधा एक गृहिणी है तथा चेतन पर आर्थिक रूप से आश्रित थी।

चेतन की मृत्यु पॉलिसी लेने के 11 वे वर्ष में होती है। वह पूर्व में 5 वे तथा 10 वे वर्ष के अन्त में वह बीमाधन के 25% के दो उत्तरजीविता हित लाभ के रूप में कुल रू. 10,00,000 प्राप्त कर चुका था।

उपरोक्त स्थिति में सुमेधा रू. 20,00,000 बीमा धन प्राप्त करेगी, भले ही पॉलिसी के 5 वे तथा 10 वे वर्ष में चेतन को बीमा धन के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में रू. 10,00,000 का भुगतान किया जा चुका है।

ब 2 एन वेतन बचत योजनाएँ (एस एस एस)

वेतन बचत योजनाओं (एस एस एस) का उद्देश्य कार्यशील वर्ग के लोगों की जरुरतों की पूर्ति करना है।

इन योजनाओं में बीमा कम्पनी नियोक्ता के साथ एक ऐसी व्यवस्था करती है जिसके अन्तर्गत नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम काटकर प्रतिमाह बीमा कम्पनी को भेज देता है।

चूंकि कर्मचारी को वेतन प्राप्त होने से पूर्व प्रीमियम काट लिया जाता है अतः उनकों प्रीमियम भुगतान में कोई चूक हो जाने के बारे में चिन्ता करने की जरुरत नहीं होती है।

बीमा कम्पनी भी लाभ प्राप्त करती है क्योंकि वह नियोक्ता से उन सभी कर्मचारियों का एक साथ संकलित प्रीमियम प्राप्त करती है जिन्होंनें योजना में पंजीकरण कराया है।

इस पर विचार करें
आपके विचार से बीमा कम्पनी को इससे क्या लाभ हो सकते है?

प्रस्ताव–पत्र के साथ प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित वेतन से कटौती संबंधी अधिकार–पत्र भी लिया जाता है जिसे बीमा की स्वीकृति के पश्चात् कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम कटौती करने के लिये नियोक्ता को प्रेषित किया जाता है।

बीमा कम्पनी संबंधित संस्था/नियोक्ता को प्रतिमाह (समय–समय पर) एक मांग–पत्र प्रेषित करती है जिसमें कर्मचारियों का नाम, उनका पदनाम, तथा कटौती योग्य राशि का विवरण रहता है।

वेतन बचत योजना (एस एस एस) बीमा की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। यह केवल प्रीमियम एकत्रित करने की एक सुविधाजनक व्यवस्था होती है। यह एक अवधि बीमा योजना, एक बन्दोबस्ती योजना तथा अन्य योजना के लिए उपयोग की जा सकती है।

स. कराधान एवं मुद्रास्फीति

स 1 बीमा उत्पादों पर कराधान का प्रभाव

जीवन बीमा उत्पाद आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आय कर में छूट/लाभ हेतु अनुमन्य योग्य होते है। बीमा उत्पाद निवेश के समय के अतिरिक्त परिपक्वता पर भी आयकर लाभों से छूट प्रदान करते हैं।

(अ) निवेश स्तर– जीवन बीमा योजनाओं के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 C के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती हेतु अनुमन्य है। अधिनियम के अंतर्गत आयकर से लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तो का अनुपालन आवश्यक है :–

- वर्तमान कर प्रावधानों के अनुसार किसी भी वर्ष में भुगतान किया प्रीमियम बीमाधन के 20 % से अधिक नहीं हो ; या
- बीमा धन किसी भी वर्ष भुगतान किये गये प्रीमियम के पाँच गुना से कम नहीं होना चाहिए।

उदाहरण
प्रशान्त 4 लाख कवर के लिए एक यूलिप (ULIP) पॉलिसी खरीदता है। इस पॉलिसी पर कर लाभों का उपयोग करने के लिए, भुगतान किया गया प्रीमियम 4 लाख रू. बीमा कवर के 20% से कम होना चाहिए। अतः इस मामले में कर लाभ प्राप्ति हेतु प्रीमियम भुगतान रू.80,000 या कम होना चाहिए।
यदि प्रीमियम बीमा धन के 20% से अधिक होता है; जैसे यदि प्रीमियम भुगतान रू. 80,000 से ज्यादा (जैसे रू. 1,00,000) हो , तब आय कर कटौती बीमा धन के 20% तक ही सीमित होगी। इस मामले में यह रू. 80,000 तक ही होगी।

चलो अब इस विषय पर दूसरे प्रकार से देखते हैः–

प्रशान्त रू. 80,000 का निवेश कर अपनी कर योग्य आय में से इस राशि की कटौती प्राप्त करना

चाहता है। अतः वह रू. 80,000 प्रीमियम का भुगतान करके एक यूलिप (ULIP) पॉलिसी खरीदने का निर्णय करता है। यदि वह पूरे रू. 80,000 पर आय कर लाभ प्राप्त करना चाहता है तब उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा प्राप्त बीमा कवर भुगतान किये गये प्रीमियम (रू. 80,000) का कम से कम पाँच गुना या पाँच गुने से अधिक होना चाहिए। अतः इस मामले में प्रशान्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कवर कम से कम रू. 4 लाख या अधिक हो।

ध्यान रहे!

आयकर विभाग द्वारा किसी भी समय वर्तमान आय कर प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है तथा इनमें परिवर्तन किये जा सकते है।

एक नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डी टी सी) वित्त विभाग द्वारा तैयार की जा चुकी है तथा 1 अप्रेल 2012 से प्रभावी की जायेगी तथा तत्पश्चात् वर्तमान आय कर विधि में उस समय परिवर्तन किये जायेंगे।

धारा 80 C के अन्तर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 1,00,000 तक प्रीमियम भुगतान की कर योग्य आय में से कटौती प्राप्त की जा सकती है।

(ब) परिपक्वता स्तर :– वर्तमान कर विधि के अनुसार आय कर अधिनियम की धारा 10 (10D) के अन्तर्गत नामिति/ लाभग्रहिता द्वारा प्राप्त मृत्यु कवर राशि या बीमित व्यक्ति द्वारा प्राप्त परिपक्वता लाभ राशि कर मुक्त होती है परन्तु प्रीमियम राशि बीमा धन के 20% से अधिक नहीं होने की शर्तें परिपक्वता लाभ पर भी लागू होती है।

संस्तुत क्रिया

आयकर अधिनियम की धारा 80C के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति विभिन्न साधनों में निवेश करके रू. 1,00,000 तक आयकर में लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्य निवेश साधनों का पता कीजिए तथा उनकी सूची बनाइएँ।

स 2 मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति लिये गये बीमा कवर पर एक लम्बे समय के बाद बड.ा प्रभाव डाल सकती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी वर्तमान, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि मुद्रास्फीति होती है तथा इसका अर्थ जीवन यापन की लागत में वृद्धि होना है।

उदाहरण

कुछ वर्ष पहले तक एक लीटर पेट्रोल का मूल्य रू. 40 था। आज एक लीटर पेट्रोल का मूल्य रू. 60 है– मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है। अतः कुछ वर्षों पहले तक रू. 100 मुद्रा का नोट 2.5 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था। आज वहीं रू. 100 मुद्रा का नोट केवल 1.67 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है।

अतः कुछ वर्षो की अपेक्षा आज हम रू. 100 के मुद्रा नोट से काफी कम मात्रा में वस्तुऐं खरीद पाते हैं। यदि भविष्य में मूल्य वृद्धि इसी प्रकार जारी रही, तो उसी रू. 100 मुद्रा के नोट से और भी कम खरीदा जा सकेगा।

मुद्रास्फीति का प्रभाव :– धन अपना मूल्य खोता है।

बीमा कवर पर मुद्रास्फीति का यही प्रभाव है। आज हमने निर्णय लिया कि हमारी बीमा जरुरत रू. 50 लाख है और हमने रू. 50 लाख का बीमा कवर 30 वर्षों के लिए लिया है लेकिन भविष्य में 15–20 वर्षों बाद मुद्रास्फीति के कारण उक्त राशि का वास्तविक मूल्य/मान काफी कम होगा।अतः बीमा कवर की जरुरतें भी मुद्रास्फीति बढने के साथ बढती हैं। अतः ग्राहक(और उसके बीमा अभिकर्ता) को समय–समय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बीमा कवर की समीक्षा करने की जरुरत होती हैं।

बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ योजनाऐं, बीमित व्यक्ति को एक निर्धारित (स्थिर) या नियमित अन्तरालों पर बीमाधन में वृद्धि या कभी करा सकने का विकल्प देती है।

उदाहरण

कुछ कम्पनियाँ बीमा धन में 5–10% प्रतिवर्ष की वृद्धि/कमी की अनुमति देती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिवर्ष बीमाधन बढते रहने के फलस्वरूप बीमित व्यक्ति मुद्रास्फीति से अपनी सुरक्षा कर सकता है।

द सुरक्षा जरुरतों की प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना

द 1 जरुरतों का प्राथमिकता क्रम तय करना क्यों महत्वपूर्ण है?

एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न सुरक्षा जरुरतें होती है। चलो एक बार फिर प्रशान्त का उदाहरण लेते है तथा उसकी विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करते है।

चित्र 5.2

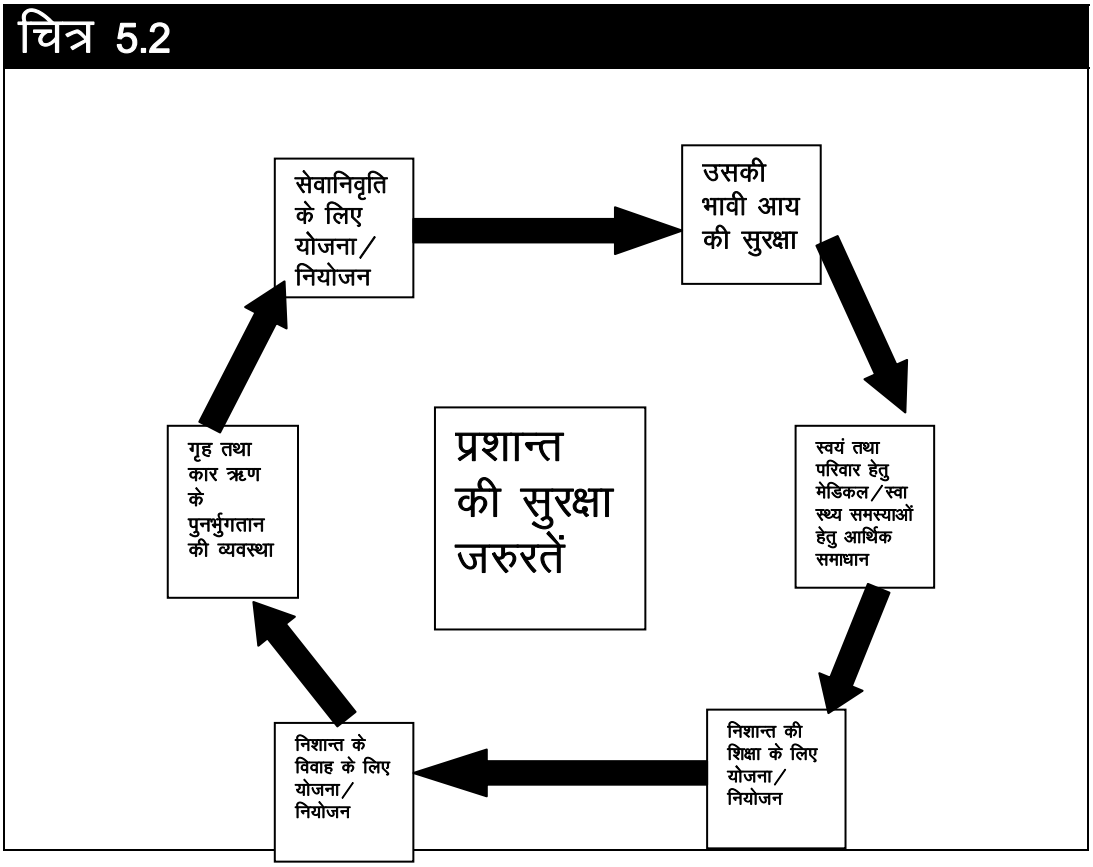

क्या प्रशान्त के पास इन सभी जरुरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन है? यदि नहीं तो वह कैसे निर्धारित करेगा कि कौनसी आवश्यकताएँ सर्वोपरि है?

एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है वह अपनी सभी सुरक्षा जरुरतों के लिए धन का उपयोग कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास सीमित संसाधन हैं वह एक साथ अपनी सभी सुरक्षा जरुरतों के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकता है इसी कारण जरुरतों की प्राथमिकता तय करने के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाता है।

द 2 जरुरतों की प्राथमिकता किस प्रकार तय करते है?

चलो कल्पना करते है कि प्रशान्त के पास अपनी सभी सुरक्षा जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अतः देखते है कि किस प्रकार बीमा अभिकर्ता उनकी प्राथमिकता क्रम तय करने में उसकी मदद कर सकता है। चलो एक एक कर उन पर विचार करते है।

भावी आय की सुरक्षा	यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि प्रशान्त की आय से अन्य सभी आवश्यकताओं/ लक्ष्यों के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त होते है।अतः प्रशान्त को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए तथा इसकी सुरक्षा खरीदनी चाहिए। वह एक अवधि बीमा योजना के साथ शुरूआत कर सकता है तथा बाद में जब उसके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो वह बचत / निवेश योजनाऐं चुन/ ले सकता है। अन्य विकल्प एक परिवर्तनीय अवधि योजना से शुरू करना हो सकता है तथा बाद में इसे एक

	बन्दोबस्ती योजना या एक आजीवन योजना में परिवर्तन करा सकता है।
स्वयं तथा परिवार हेतु मेडिकल/स्वास्थ्य समस्याओं हेतु आर्थिक समाधान	यह जरुरत भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि मेडिकल आपातस्थिति किसी भी समय घट सकती है।प्रशान्त एक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना ले सकता है। वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में अधिकतर नियोक्ता अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराते हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदना स्थगित कर सकता है यदि उसके संसाधन सीमित हो।
निशान्त की शिक्षा के लिए योजना	यह जरुरत उन विवाहित व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता रखती है जिनके बच्चे हों। इस मामले में प्रशान्त एक छोटी सी राशि निवेश करके एक बाल बीमा योजना के साथ शुरूआत कर सकता है; तथा बाद में जब उसके पास पर्याप्त संसाधन हो, वह इस लक्ष्य के लिए निवेश बढा सकता है।
निशान्त के विवाह के लिए योजना	यह जरुरत उन व्यक्तियों द्वारा कुछ समय तक स्थगित की जा सकती है जो अपनी सभी सुरक्षा जरुरतों को पूरा करने में असमर्थ होते है, जबकि पर्याप्त वित्तीय संसाधन सम्पन्न लोग अन्य लक्ष्यों के साथ इस लक्ष्य के लिए निवेश करना शुरू कर सकते है।
गृह ऋण तथा कार ऋण के पुनर्भुगतान की व्यवस्था	इस जरुरत के लिए सुरक्षा खरीदना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परिवार के आय प्रदाता को कुछ भी हो जाता है तथा यदि परिवार ई एम आई के भुगतान में समर्थ नहीं है तो लेनदार सम्पति पर कब्जा कर सकते है तथा अपनी बकाया धन राशि की वसूली के लिए उसे बेच सकते है। गृह ऋण के लिए व्यक्ति एक गृह ऋण सुरक्षा बीमा पॉलिसी खरीद सकता है तथा कार ऋण के लिए अवधि बीमा कवर बढा सकता है।
सेवानिवृति के लिए योजना	यह एक महत्वपूर्ण जरुरत है परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन न हो तो वह एक छोटी राशि का योगदान करके शुरूआत कर सकता है तथा बाद में जब उसके पास अधिक वित्तीय संसाधन हो तो इसे अपनी आवश्यकतानुसार इस लक्ष्य के लिए निवेश बढा सकता है।

सुरक्षा जरुरतों के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा:

चित्र 5.3

उनकी प्राथमिकता तय करे तथा गंभीर एवं उच्च प्राथमिकता वाली जरुरतों की सुरक्षा के लिए तुरन्त शुरूआत करे।

↓

मध्यम प्राथमिकता वाली जरुरतों के लिए कम निवेश से शुरूआत करें तथा बाद में निवेश में वृद्धि करें।

↓

निम्न प्राथमिकता वाली जरुरतों को कुछ समय के लिए स्थगित करें तथा बाद में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उन्हें लें।

संस्तुत क्रिया
अपनी स्वयं की सुरक्षा जरुरतों की सूची बनाइए। इसके पश्चात् उन्हें गंभीर, उच्च, मध्य तथा निम्न प्राथमिकता क्रम में रखें।

चलो अब इस विषय पर वापस लौटते है कि किस प्रकार प्रशान्त का जीवन एक अधिक कष्टकर मोड. ले लेता है तथा देखे कि प्रशान्त को अपनी तथा अपने परिवार की जरुरतों हेतु सही बीमा सुरक्षा चुनने में किस प्रकार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना चाहिए।

प्रकरण–अध्ययनः प्रशान्त का जीवन पुनः पटरी पर आ जाता है।
प्रकरण अध्ययन के पूर्वाद्ध में सुनहरे भारत की सुखद छवि उभरती हैं, जबकि उत्तरार्ध में जीवन के कटू सत्य का वर्णन है। इससे उजागर होता है कि जीवन किस प्रकार आपको अचम्भित कर सकता है तथा यदि आप तैयार नहीं है तो वह आपका परिवार ही होगा जिसे परिणाम सहना पड. ता है।

हम अब विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार प्रशान्त अपनी योजनाओं को गलत पाता है तथा बीमा किस प्रकार उसकी जरूरतें पूरी कर सकता था।

अवधि बीमाः प्रशान्त परिवार का एकमात्र आय अर्जित करने वाला सदस्य हैं, अतः उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके शेष कार्यशील जीवन में अर्जित की जाने वाली आय सुरक्षित रहे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रशान्त के जीवित रहने या न रहने दोनों ही स्थितियों में उसका परिवार आर्थिक रूप से पीडि.त नहीं होना चाहिए। बीमा किसी व्यक्ति के न रहने से उत्पन्न हुए भावनात्मक शून्यता को नहीं भर सकता है परन्तु वह कम से कम वित्तीय शून्यता भर सकता है। प्रशान्त को एक बन्दोबस्ती योजना के स्थान पर उतनी ही राशि हेतु एक अवधि बीमा लेना चाहिए जो सेवानिवृति की आयु तक उसके द्वारा अर्जित किए जाने वाले वेतन की कुल राशि के बराबर हो। जबकि प्रशान्त ने एक बन्दोबस्ती पॉलिसी का चयन किया है जो उसके परिवार को मात्र एक वर्ष तक भी समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकेगी। साथ ही प्रशान्त ने उक्त बन्दोबस्ती योजना आयकर से छूट पाने हेतु न कि परिवार को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये ली। यदि प्रशान्त एक बन्दोबस्ती योजना के स्थान पर एक अवधि बीमा योजना खरीदता तो वह उसी रू. 20,000 के प्रीमियम से एक बहुत बडी बीमा राशि का कवर पायेगा जो उसके न रहने की स्थिति में गृह ऋण, कार ऋण तथा परिवार की अन्य जरूरतों को भी पूरा करेगा।

बाल बीमा :– प्रशान्त के पास स्वयं की पर्याप्त बीमा सुरक्षा नहीं है जबकि वह निशान्त की शिक्षा के लिए फण्ड में निवेश कर रहा है। प्रशान्त की मृत्यु होने पर म्यूच्अल फण्ड में निवेश बन्द हो जाता है तथा निशान्त की शिक्षा की योजना ध्वस्त हो जाती है। प्रशान्त को निशान्त की शिक्षा की योजना के लिए बाल शिक्षा योजना का चयन करना चाहिए। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि प्रशान्त की मृत्यु हो जाने पर, बीमा कम्पनी प्रीमियम का भुगतान स्वयं जारी रखेगी तथा निशान्त की शिक्षा की योजना के साथ समझौता नहीं किया जायेगा।

गृह ऋण तथा कार ऋण :– जब प्रशान्त की देनदारियाँ/उत्तरदायित्व बढता हैं, तो अतिरिक्त

दायित्वों को कवर करने के लिए अवधि बीमा बढाना चाहिए। इस परिदृश्य में पर्याप्त बीमा सुनिश्चित करेगा कि प्रशान्त के न रहने पर बीमा राशि कार तथा गृह ऋणों को चुकता करने में उपयोग में लाई जा सकती है, तथा प्रशान्त का परिवार कार का उपयोग तथा उसी मकान में रहना जारी रख सकता है।

सेवानिवृति योजनाएँः– एक बन्दोबस्ती योजना के बजाय, प्रशान्त को एक बढते कवर की अवधि बीमा का चयन करना चाहिए जो परिवार की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं से अधिक राशि एक समुचित सेवानिवृति बीमा योजना को वित्त पोषित कर सकती है।

सारांश

इस अध्याय में हमने देखा हैं कि किस प्रकार उचित नियोजन तथा सही जीवन बीमा उत्पाद व्यक्ति की मृत्यु या अपंगता होने पर उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर सकता है, तथा जीवन में किसी "विपत्ति या विषम परिस्थितियाँ" उत्पन्न हो सकने के दुष्प्रभाव के भय से मुक्त होकर जी सकता है।

एक जीवन बीमा अभिकर्त्ता के रुप में आपकोः

- उपलब्ध जीवन बीमा उत्पादों के लक्षणों (गुणों एवं लाभों)को जानने की जरूरत होगी।
- किसी व्यक्ति की सुरक्षा जरुरतों का विश्लेषण करने में समर्थ होना चाहिए।
- यह निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए कि उनकी जरूरतों को पूरा करने में किस प्रकार और किन उत्पादों का चयन किया जाये।

मुख्य बिन्दु

इस अध्याय में शामिल मुख्य विचारों को निम्न प्रकार से सारांश में प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

सुरक्षा जरुरतें

- एक व्यक्ति के लिए विभिन्न जरूरतों जैसे आय की सुरक्षा, मेडिकल खर्चों की भरपाई, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का विवाह, विभिन्न सम्पतियों हेतु ऋण, तथा उसके परिवार के भरण पोषण के लिए सुरक्षा आवश्यक हो सकती है।
- सुरक्षा जरूरतों को प्रभावित करने वाले कारकों मेंः आयु, आश्रित लोग, आय , सम्पतियाँ, तथा दायित्व शामिल है।

बीमा उत्पाद

- अधिकतर जीवन बीमा योजनाओं में दो मूल तत्व, मृत्यु कवर तथा परिपक्वता लाभ होते है।
- एक अवधि बीमा योजना में पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर केवल मृत्यु कवर प्रदान किया जाता है।
- एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना परिपक्वता लाभ/ उत्तरजीविता लाभ प्रदान करती है यदि बीमित व्यक्ति योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है।
- एक बन्दोबस्ती बीमा योजना एक अवधि योजना तथा एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना का मिश्रण होता है। इसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक विनिर्दिष्ट मृत्यु कवर राशि नामिति/लाभग्रहिता को प्रदान की जाती है या बीमित व्यक्ति को परिपक्वता लाभ/ उत्तरजीविता लाभ प्रदान किया जाता है यदि बीमित योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है।
- बन्दोबस्ती योजना में बचत का तत्व भी होता है। बीमा कम्पनियाँ निवेश पर अर्जित प्रतिफल (सम्प्राप्ति) पर बोनस की घोषणा करती है।
- एक आजीवन योजना व्यक्ति के सम्पूर्ण अवधि को कवर करता है।
- परिवर्तनीय बीमा योजनाएँ एक जीवन बीमा योजना से अन्य जीवन बीमा योजना में परिवर्तन की अनुमति देती है।
- संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ एक ही पॉलिसी के अन्तर्गत दो व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करती है।
- किसी व्यक्ति द्वारा बीमा कम्पनी को एक मुश्त या एक विनिर्दिष्ट वर्षों तक भुगतान की गई राशि के प्रतिफल में प्राप्त होने वाला भुगतान एन्यूटी होती है।
- समूह बीमा योजनाएँ लोगों के एक समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ किसी समूह में होते है।
- लघु बीमा योजनाएँ अल्प आय वाले लोगों को बीमा कवर प्रदान करती है।
- यूनिट–लिंक्ड बीमा योजनाएँ (ULIP) बीमित व्यक्ति को बाजार की वृद्धि (चढने) में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।
- यूलिप(ULIP) में निवेश जोखिम बीमित द्वारा वहन किया जाता है न कि परम्परागत योजनाओं की तरह बीमा कम्पनी द्वारा ।
- बाल बीमा योजनाएँ अभिभावकों को उनके बच्चों की भावी वित्तीय जरूरतों जैसे शिक्षा, विवाह आदि की सुरक्षा में मदद करती है।
- मनी–बैक पॉलिसियों में विनिर्दिष्ट अन्तराल पर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसीधारक

को ''आंशिक उत्तरजीविता हित लाभ'' का भुगतान किया जाता है।

- वेतन बचत योजना (एस एस एस) कोई विशिष्ट बीमा योजना नहीं होती है। इसमें केवल प्रीमियम एकत्रित करने की सुविधाजनक व्यवस्था होती है। इन योजनाओं में, बीमा कम्पनी नियोक्ता के साथ एक व्यवस्था करता है, जिसमें नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम की कटौती करता है तथा उसे प्रतिमाह बीमा कम्पनी को भेज देता है।

कराधान एवं मुद्रास्फीति

- आयकर अधिनियम की धारा 80C के अन्तर्गत, एक वित्तीय वर्ष में बीमा योजनाओं के लिए रू.1,00,000 तक किया गया प्रीमियम का भुगतान कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है।
- आयकर लाभ के लिए, किसी एक वर्ष में प्रीमियम ,बीमा धन के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए या बीमा धन प्रीमियम का कम से कम 5 गुना या अधिक होना चाहिए।
- आयकर अधिनियम की धारा 10(10D)के अन्तर्गत किसी जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त परिपक्वता लाभ या मृत्यु कवर कर मुक्त होता है।
- अवधि लम्बी होने पर मुद्रास्फीति बीमा कवर का मूल्य ह्रास कर देता है।
- कुछ बीमा कम्पनियाँ मुद्रास्फीति के साथ सामंजस्य बनाये रखने के लिए नियमित अन्तराल पर बीमा कवर में वृद्धि का लाभ प्रस्तावित करती है।
- कुछ बीमा कम्पनियाँ बीमा कवर में नियमित अन्तराल पर कमी का लाभ प्रस्तावित करती है जो ऋणों के मामलों में उपयोगी होता है क्योंकि समय बीतने के साथ ऋण राशि घटती जाती है।

सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता क्रम में रखना

- जिस व्यक्ति के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते है तथा एक ही समय मे सभी सुरक्षा जरूरतों के लिए निवेश नहीं कर सकता है उसके लिए प्राथमिकता निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है।
- एक व्यक्ति अपनी जरूरतों का प्राथमिकता क्रम जैसे गंभीर, उच्च प्राथमिकता, मध्यम प्राथमिकता, तथा निम्न प्राथमिकता तय कर सकता है तथा तद्नुसार इनके लिए संसाधन आवंटित कर सकता है।

प्रश्न–उत्तर

5.1

अधिकांश बीमा योजनाओं में दो मूल तत्त्व होते हैः–

- मृत्यु कवर – यह राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में नामिति/लाभग्रहिता को भुगतान की जाती है।
- परिपक्वता लाभ – यह राशि पॉलिसी की परिपक्वता पर भुगतान की जाती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है। पॉलिसियाँ जैसे मनी–बैक पॉलिसियाँ परिपक्वता से पूर्व पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को समय–समय पर भुगतान भी करती है ये उत्तरजीविता हित लाभ कहलाते है।

5.2

एक समूह बीमा योजना के लक्षण निम्नानुसार हैः–

- एक समूह बीमा पॉलिसी लोगों के समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जो एक सामान्य उद्देश्य से किसी समूह में सम्मिलित होते है।
- लोगों का समूह हो सकता है :–

– एक संगठन के कर्मचारी ;
– एक बैंक के ग्राहक ;
– एक ट्रेड यूनियन (मजदूर संघ) के सदस्य ;
– एक व्यवसायिक निकाय जैसे लेखाकार संघ के सदस्य, या
– लोगों का अन्य कोई समूह जो उद्देश्य की सामान्यता के कारण एक साथ आते है या एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते है।

- एक समूह बीमा पॉलिसी में बीमा कम्पनी समूह के सभी सदस्यों को कवर करती हुई एक मास्टर पॉलिसी जारी करती है। उदाहरण के लिए : बीमा कम्पनी एक नियोक्ता को कम्पनी के सभी कर्मचारियों को कवर करती हुई एक मास्टर पॉलिसी जारी करेगी। नियोक्ता "मास्टर पॉलिसीधारक" के नाम से जाना जायेगा।
- बीमा की संविदा बीमा कम्पनी तथा मास्टर पॉलिसीधारक के मध्य होती है। कर्मचारी बीमा संविदा के प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होते है।
- समूह बीमा योजनाएँ समूह (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग) को बीमा कंवर प्रदान करके समाज कल्याण के साधन के रूप में सरकार द्वारा भी उपयोग की जाती है।
- जुलाई 2005 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा IRDA) ने समूह बीमा पॉलिसियों पर एक मार्गदर्शिका जारी की है।

स्व–परीक्षण प्रश्न

1. एक व्यक्ति की विभिन्न सुरक्षा जरूरतों की सूची बनाइये।
2. परिवर्तनीय योजनाएँ क्या होती है? उनका महत्त्व क्या होता है?

आप अगले पृष्ठ पर इनके उत्तर प्राप्त करेंगे।

स्व–परीक्षण उत्तर

1.

एक व्यक्ति की विभिन्न सुरक्षा जरूरतों में शामिल हैः–

- आय सुरक्षा;
- मेडिकल खर्चों की जरूरतें;
- बच्चों की शिक्षा;
- बच्चों के विवाह;
- विभिन्न सम्पतियों हेतु ऋण तथा
- परिवार की सुरक्षा।

2.

परिवर्तनीय बीमा योजना एक प्रकार की योजना से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक अवधि बीमा योजना एक बन्दोबस्ती योजना या एक आजीवन योजना या बीमा कम्पनी द्वारा अनुमन्य अन्य किसी योजना में परिवर्तित हो सकती ळें

एक परिवर्तनीय योजना तब उपयोगी होती है जब बीमित व्यक्ति आय अर्जन के प्रारम्भ में एक उच्च प्रीमियम भुगतान को वहन नहीं कर सकता है। इसलिए वे एक कम प्रीमियम की अवधि बीमा योजना के साथ शुरूआत कर सकते है तथा फिर उसे एक उच्च प्रीमियम की बन्दोबस्ती योजना या आजीवन योजना में परिवर्तित करवा सकते है। योजना परिवर्तन के समय बीमित व्यक्ति को मेडिकल जाँच भी नहीं करवानी पड़ती है।

परिवर्तनीय योजना का अन्य लाभ यह है कि परिवर्तन के समय पुनः जोखिमांकन निर्णय भी नहीं लिया जाता है।